

पत्र- संख्या-जी0एस0टी0/2019-20/1920051/

624 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 15 अक्टूबर, 2019

समस्त जोनल एडी0 कमि0, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

समस्त जोनल एडी0 कमि0, ग्रेड-2(वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

समस्त ज्वाइंट कमि0 (कार्यपालक/कार्पोरेट)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- जी0एस0टी0एन0 के पोर्टल पर ऑनलाइन रिफण्ड मॉड्यूल उपलब्ध हो जाने तक मैनुअल रिफण्ड की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-क0नि0-4-785/11-2018/300(5)/18 दिनांक 20.07.2018 के अनुक्रम में मैनुअल रिफण्ड प्रक्रिया की अवधि बढ़ाये जाने विषयक।

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-जी0एस0टी0/2017-18/1449/वाणिज्य कर दिनांक 23.02.2018 द्वारा जीरो रेटेड सप्लाय के साथ-साथ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर डीमड निर्यात तथा इलेक्ट्रानिक कैश लेजर में अतिरिक्त आई0टी0सी0 होने पर रिफण्ड क्लेम करने हेतु मैनुअल प्रार्थना-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया एवं उसके निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे तथा उक्त पत्र के साथ शासनादेश संख्या-क0नि0-4-219/11-2018-300(5)/18 दिनांक 23.02.2018 तथा तदक्रम में जारी शुद्धि-पत्र शासनादेश संख्या-क0नि0-4-282/11-2018/300(5)/18 दिनांक 21.03.2018 द्वारा मैनुअल रिफण्ड प्रणाली को दिनांक 30.06.2018 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया था। शासन द्वारा पुनः शासनादेश संख्या-क0नि0-4-785/11-2018/300(5)/18 दिनांक 20.07.2018 के माध्यम से मैनुअल रिफण्ड प्रणाली को दिनांक 31.12.2018 तक के लिए लागू किया गया था। तत्पश्चात् पुनः शासनादेश संख्या-4-08/11-2019/300(5)/18 दिनांक 05.02.2019 के माध्यम से मैनुअल रिफण्ड प्रणाली को दिनांक 30.06.2019 तक के लिए लागू किया गया था। तत्पश्चात् पुनः शासनादेश संख्या- क0नि0-4-617/11-2019/300(5)/18 दिनांक 24.06.2019 के माध्यम से मैनुअल रिफण्ड प्रणाली को दिनांक 30.09.2019 तक के लिए लागू किया गया था, जिसे अब सम्यक विचारोपरान्त पुनः कार्यालय ज्ञाप संख्या-क0नि0-4-894/11-2019/300(5)/18 दिनांक 15.10.2019 द्वारा मैनुअल रिफण्ड प्रणाली को दिनांक 31.12.2019 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस पत्र के साथ कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 15.10.2019 संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि अपने जोन के अन्तर्गत सभी जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी को इस कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 15.10.2019 की प्रति उपलब्ध कराते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों से भी इस कार्यालय-ज्ञाप के आदेशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यह व्यवस्था केवल 2019 तक प्राप्त आकलास रिफण्ड प्रणाली पर ही केवल के लिए लागू होगी। संलग्नक-उपरोक्तानुसार-(कार्यालय-ज्ञाप)

(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू0प0सं0 / दिनांक उक्त

प्रतिलिपि:-निदेशक, कोषागार, उ0प्र, लखनऊ को कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 15.10.2019 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से सभी जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी को इस शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

ज्वाइंट कमिश्नर(जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन
कर एवं निबंधन अनुभाग-4
संख्या-क0नि0-4-894/11-2019-300(5)/18
लखनऊ दिनांक 15 अक्टूबर 2019

कार्यालय-ज्ञान

वाणिज्य कर विभाग में जी0एस0टी0एन0 के पोर्टल पर ऑन लाइन रिफण्ड माइयूल उपलब्ध हो जाने तक मैनुअल रिफण्ड की प्रक्रिया निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या-क0नि0-4-219/11-2018-300(5)/2018 दिनांक 23.02.2018 तथा शुद्धि पत्र संख्या-क0नि0-4-282/11-2018/300(5)/18 दिनांक 21.03.2018 निर्गत किया गया है।

2- शासनादेश दिनांक 23.02.2018 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-(3) में मैनुअल रिफण्ड प्रणाली को दिनांक 30.06.2018 तक के लिए लागू किया गया था। शासनादेश दिनांक 24.06.2019 द्वारा इस प्रक्रिया को दिनांक 30.09.2019 तक लागू रखने का निर्णय लिया गया था, जिसे सम्बन्ध विभागीय पत्र दिनांक 31.12.2019 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 23.02.2018 व शुद्धि पत्र दिनांक 21.03.2018 की शेष अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0 संख्या-एफ0ए0-1-150/दस-2019 दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

नीरजा कुरील
संयुक्त सचिव।

सं0-क0नि0-4-894(1)/11-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज।
- 2-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3-समास्त मुख्य-कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर।
- 4-एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5-वित्त (लेखा) अनुभाग-1
- 6-गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नरेंद्र कुमार
(नरेंद्र कुमार)
उप सचिव।